

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक: 28 दिसम्बर, 2022

विषय:- उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत आईआईटी कानपुर परिसर में Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/DRONE टेक्नोलॉजी आधारित सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत राज्य में 3 स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना किया जाना परिलक्षित है। आईआईटी कानपुर द्वारा उक्त नीति के अन्तर्गत आईआईटी कानपुर परिसर में Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/DRONE टेक्नोलॉजी आधारित सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना राज्य सरकार के सहयोग से प्रस्तावित है।

2- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत बजट दिनांक 01 फरवरी, 2022 को Drone-As-A-Service(DrAAs) के रूप में DRONE टेक्नोलॉजी का फसल का अनुमान (Crop Assessment), भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण (Digitization of Land Records), कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव (Spraying of Insecticides and Nutrients) इत्यादि हेतु स्टार्टअप्स में DRONE टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है। DRONE टेक्नोलॉजी का उ0प्र0 शासन के कृषि विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग आदि के महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान रहेगा।

3- आईआईटी कानपुर द्वारा UAV/DRONE टेक्नोलॉजी आधारित सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स परियोजना की स्थापना हेतु कुल लागत रु0 20.30 करोड़ में से आईआईटी कानपुर द्वारा रु0 5.00 करोड़ की धनराशि वहन करने की सहमति तथा यूपीडा द्वारा रु0 5.30 करोड़ दिये जाने की सहमति प्रदान की गई है। केन्द्र की स्थापना हेतु आईआईटी कानपुर द्वारा प्रस्तुत मदवार धनराशि की आवश्यकता का विवरण निम्नानुसार है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

व्यय की मर्दें	आईआईटी कानपुर	राज्य सरकार का अंश	योग	अभ्युक्ति
		यूपीडा (रु 5.30 करोड़) तथा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग (रु 10.00 करोड़)		
इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट अप (पूँजीगत व्यय)	2.00	-	2.00	आईआईटी कानपुर द्वारा 100 प्रतिशत
तकनीकी उपकरण (पूँजीगत व्यय)	1.00	3.00	4.00	राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत
केन्द्र के कार्मिकों का वेतन (परिचालन व्यय)	-	3.00	3.00	आईआईटी कानपुर द्वारा 25 प्रतिशत
उत्पाद विनिर्माण (परिचालन व्यय)	-	4.30	4.30	राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत
विद्यमान सुविधाओं का उन्नयन (परिचालन व्यय)	2.00	5.00	7.00	राज्य सरकार द्वारा 71.43 प्रतिशत, आईआईटी कानपुर द्वारा 28.57 प्रतिशत
योग	5.00	15.30	20.30	

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० स्टार्टअप नीति-2020 के बिन्दु-9.2 के अन्तर्गत प्रदेश में उत्कृष्टता के केन्द्रों हेतु प्रोत्साहन अनुदान की व्यवस्था के क्रम में आईआईटी कानपुर परिसर में Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/DRONE टेक्नोलॉजी आधारित सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स को उसकी स्थापना तिथि से 5 वर्ष की अवधि में, अनुदान के रूप में अधिकतम रु० 10 करोड़ तक आर्थिक सहायता (जिसमें पूँजीगत तथा परिचालन व्यय सम्मिलित है) प्रदान की जायेगी तथा सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स को वित्तीय सहायता पर निहित व्यय-भार का वहन उ०प्र० स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ से प्राप्त धनराशि रु० 30 करोड़ प्रतिवर्ष (05 वर्षों में कुल रु० 150 करोड़) से बनाये गये कॉरपस फण्ड से किया जायेगा।

धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित समय-सारणी

अंशदान सहभागिता	In Crores of Rs.				
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Year wise Fund Requested from Department of IT & Electronics, Government of UP (DoITE)	3.6	2.3	2.4	1.1	0.6
Year wise Fund Requested from UPEIDA	3.6	1.7	0	0	0
Funds requested from IITK Year wise	2	0	1	1	1
Grand Total (Crores of Rs.)	20.3				
Total Funds Requested from UP Govt. agencies (Crores of Rs.)	15.3				

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- उत्कृष्टता के केन्द्र को वित्तीय सहायता का संवितरण वार्षिक आधार पर उनके कार्य-प्रदर्शन पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय नीति अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति (पी.एम.आई.सी.) के निर्णय पर निर्भर होगा। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग एवं उपभोग यथानिर्धारित समय-सारणी एवं उल्लिखित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा। उत्कृष्टता का केन्द्र 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक स्व-निर्भर हो जायेगा तथा इसके पश्चात् केन्द्र को शासन से कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

6- नोडल संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उत्कृष्टता के केन्द्र की स्थापना हेतु आईआईटी कानपुर में स्थापित सुविधायें इसमें इन्क्यूबेट होने वाली इच्छुक ड्रोन कम्पनियों को निःशुल्क उपलब्ध हों। आईआईटी कानपुर द्वारा Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/DRONE टेक्नोलॉजी आधारित सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स हेतु निर्धारित डिलीवरेबल तथा माइलस्टोन्स भी निर्धारित समय-सारणी के अनुसार प्राप्त किये जायेंगे।

राज्य स्तरीय नीति अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति (पी0एम0आई0सी0) की बैठक में संस्तुति बिन्दु:- (सन्दर्भ: दिनांक 10 जून, 2022 की बैठक का कार्यवृत्त)

7- आईआईटी कानपुर द्वारा निम्नलिखित शर्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

i) आईआईटी कानपुर द्वारा परियोजना रिपोर्ट के अनुसार उल्लिखित Deliverables/ Milestones पूर्ण किये जाने होंगे।

- **Drone Products** with Multiple of applications for civilian as well as defense market, developed and commercialized, would help establish UP as a major drone manufacturing hub and help generate employment.
- **Manufacturing Facility** to support startup in accelerating product development by cutting down time to market. Hand-holding and mentoring for 20 startups every year for next 5 years(100 over 5 years) and to support select few towards building successful technology driven scalable business.
- **Drone Training Facility** for creating trained manpower for drone operations and maintenance and to support government department for the same. Training of 100 Drone/UAV Pilots every year.
- **Dedicated Manpower** for operation of CoE manufacturing and training facilities. Supporting various stakeholders with relevant technical knowhow and provide support in training of trainers to scale up capacity.

ii) व्यय विवरण

- आईआईटी कानपुर द्वारा तिथिवार इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप (पूँजीगत व्यय) के अर्न्तगत 11,000 वर्गफीट सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं फर्निशिंग के मद में रु० 2.00 करोड़ व्यय के संसाधनों से व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- तकनीकी उपकरणों के क्रय पर ₹0 4.00 करोड़ का पूंजीगत व्यय निम्नवत् अनुमानित है:-

Sl. No	Name of Equipment	Approximate Budget (Rs. In Lakhs)
1	5- Axis high precision CNC machine	150.00
2	Prepreg cutting platform	110.00
3	High Volume ovens (multiple units) for curing	30.00
4	Isotropic plastic 3D printer	50.00
5	Industrial refrigerators for storing Prepregs	10.00
6	Testing and diagnostic equipment	50.00
	Total	400.00

- केन्द्र के संचालन हेतु कर्मिकों के वेतन (परिचालन व्यय) के अर्न्तगत प्रशासनिक जनशक्ति (5 व्यक्ति) पर आने वाला व्यय ₹0 1.10 करोड़ तथा तकनीकी जनशक्ति (12 व्यक्ति) पर आने वाला व्यय ₹0 1.90 करोड़ अर्थात् कुल ₹0 3.00 करोड़ अनुमानित है। जनशक्ति का विस्तृत विवरण परियोजना रिपोर्ट में दिया गया है।
- उत्पाद विनिर्माण (परिचालन व्यय) के अर्न्तगत ₹ 4.30 करोड़ का व्यय अनुमानित है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

Sl. No	Name of Equipment	Approximate Budget (Rs. In Crores.)
1	Cost- Effective Drone for Agricultural Spraying	1.25
2	Multirole Drone for surveillance Application and Agricultural Mapping	0.75
3	Geo-referencing Drone for Mapping of personal and Industrial Land Holding	0.30
4	Mule Drones for High Altitude Payload Delivery and Disaster response	1.99

इसके अर्न्तगत केन्द्र द्वारा विकसित की जा रही प्रोजेक्ट टेक्नोलोजीस को ट्रांसफर के माध्यम से परस्पर सहमत रॉयल्टी (mutually agreeable royalty) पर लाइसेन्स प्राप्त उत्पादन के लिए स्टार्टअप्स अथवा स्थापित कम्पनियों को हस्तान्तरित किया जायेगा। केन्द्र के पूर्णरूप से कार्यशील होने के उपरान्त विकसित होने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट अप्स और स्थापित कम्पनियों के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

- आईआईटी कानपुर परिसर में विद्यमान ड्रोन प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्नयन (परिचालन व्यय) के अर्न्तगत ₹0 7.00 करोड़ का व्यय निम्नवत् अनुमानित है:-

Sl. No.	Activity/ Purpose	Budget (Rs. In Crores)	अभ्युक्ति
1	Procurement of Nano, Mini, Micro category drones of different configurations (multirotor,	3.00	राज्य सरकार द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	VTOL, fixed wing, hybrid, engine powered etc.) in multiple units		100 प्रतिशत
2	Procurement of wide range of payloads (EO/IR, EO, IR, Multispectral, Hyperspectral, Lidar, RTK GNSS, IMU, LTE, Pollution sensors, mapping cameras, etc.)	2.00	राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत आईआईटी कानपुर द्वारा 50 प्रतिशत
3	Ground Station units, Communication, infrastructure	2.00	राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत आईआईटी कानपुर द्वारा 50 प्रतिशत
	Total	7.00	

उपरोक्त धनराशि ₹0 20.30 करोड़ का व्यय 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित है। तत्पश्चात्, सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स अपने कार्यकलापों एवं गतिविधियों से स्व-अर्जित राजस्व से आत्म-निर्भर हो जाने की परिकल्पना की गई है।

- iii) विद्यमान ड्रोन परीक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर ढाँचे को सभी हितधारकों (Stake holders) के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।
- iv) इस केन्द्र के द्वारा उत्तर प्रदेश अथवा देश के अन्य भागों में स्थापित होने वाली कम्पनियों को टेक्नोलोजी ट्रांसफर/नये उत्पाद-विकास में परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सेवाएँ प्रदान की जायेंगी। केन्द्र द्वारा विकसित की जा रही प्रोडक्ट टेक्नोलोजीस को स्टार्टअप्स अथवा स्थापित कम्पनियों को परस्पर सहमत रॉयल्टी (mutually agreeable royalty) पर लाइसेन्स प्राप्त उत्पादन के लिए हस्तान्तरित किया जायेगा। केन्द्र के पूर्णरूप से कार्यशील होने के उपरान्त विकसित होने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप्स और स्थापित कम्पनियों के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये जायें।
- v) आईआईटी कानपुर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा स्थापित प्रशिक्षण सुविधा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा रिमोट पॉयलट प्रशिक्षण संगठन (RPTO) हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
- vi) राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त की जाने वाली धनराशि सम्बन्धित हितबद्ध पक्षों (यूपीडा तथा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग) द्वारा वचनबद्ध धनराशि के अनुपात में milestones की प्राप्ति की स्थिति में की जाती रहेगी।
- vii) सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स हेतु राज्य सरकार (आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग एवं यूपीडा) द्वारा प्रति वर्ष अग्रिम धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। तत्पश्चात् धनराशि का अनुवर्ती संवितरण सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स द्वारा सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही अगले वर्ष की धनराशि नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त नोडल एजेन्सी (यूपीएलसी) के माध्यम से किया जायेगा। आईआईटी कानपुर द्वारा अपना आवेदन, पूर्व वर्ष का सहभागिता प्रमाण-पत्र वार्षिक आधार पर नोडल संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा।

- viii) परिचालन व्यय जिसमें कार्मिकों का वेतन सम्मिलित है, के सम्बन्ध में राज्य सरकार के ऊपर न तो कोई अतिरिक्त देयता सृजित की जायेगी और न ही सम्बन्धित कार्मिकों का भविष्य में राज्य सरकार की सेवाओं हेतु कोई दावा मान्य होगा।
- ix) विशिष्ट मर्दों में आवंटित बजट/धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मर्दों में किया जायेगा और पुनर्विनियोग के अधिकार, यदि आवश्यक हो तो नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति के आधार पर पीएमआईसी में निहित होगा।
- x) पीआईयू द्वारा सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के कार्यों की प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जायेगी। सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के कार्यकलापों तथा अवमुक्त की गई धनराशि से सम्बन्धित सभी प्रकरण तथा इसके सापेक्ष डिलीवरेबल्स तथा माइलस्टोन्स की स्थिति इत्यादि का अनुश्रवण पीएमआईसी द्वारा भी वार्षिक आधार पर किया जायेगा।
- xi) सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की गवर्निंग काउन्सिल की संरचना (Governance Structure) का उल्लेख आईआईटी कानपुर द्वारा प्रस्तुत "Detailed Proposal for Centre of Excellence for Capacity Building, Training and Design of Unmanned Aerial Vehicles" में किया गया है। इसके अतिरिक्त आईआईटी कानपुर की संस्तुति पर आवश्यकतानुसार अन्य विषय विशेषज्ञ नामित किये जाने हेतु पीएमआईसी अधिकृत होगी।
- xii) इस सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स का सृजन डिफेन्स कॉरीडोर में स्थापित उद्योगों को सपोर्ट देने के लिए भी किया जा रहा है, अतः इसकी स्थापना के लिए आईआईटी कानपुर तथा यूपीडा के मध्य समझौता ज्ञापन आईआईटी कानपुर तथा यूपीडा की भूमिकाओं का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- xiii) 30प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित इन्क्यूबेटर्स तथा उनके द्वारा समर्थित ड्रोन स्टार्ट-अप्स को सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के द्वारा वांछित सहायता प्रदान की जायेगी।
- xiv) सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स द्वारा देश-विदेश में स्थित अन्य ड्रोन आधारित संस्थानों से समन्वय स्थापित कर अनुसंधान के क्षेत्र में नवीन सम्भावनाओं को बढ़ावा दिया जायेगा एवं एक एकीकृत नॉलेज डाटाबेस का विकास किया जायेगा, जो कि सभी हितधारकों हेतु निःशुल्क उपलब्ध होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

xv) ड्रोन आधारित सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना, संचालन, प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत अधिनियम/नियम/मानक/दिशा-निर्देश आदि का अनिवार्यतः अनुपालन किया जायेगा।

भवदीय,

अरविन्द कुमार

अपर मुख्य सचिव

संख्या:- 38/2022/1669/78-1-2022 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
- 9- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- निदेशक, आईआईटी कानपुर।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अक्षय त्रिपाठी

विशेष सचिव।